इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013—आश्विन 5, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. एफ बी-4-14-2013-2-पांच (22).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-02-2011-2-पांच (15), दिनांक 10 मई, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के प्रयोजन के लिये प्राप्त होने वाले 1,00,000/- (एक लाख) रुपए तक के ऋण या अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिये, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में हितग्राही द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन निष्पादित हक विलेखों से संबंधित लिखत पर तथा अनुच्छेद 38 (ख) के अधीन निष्पादित साधारण बंधक की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करती है कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि हितग्राही इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये पात्र है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. एफ बी-4-14-2013-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की आदेश क्रमांक एफ बी-4-14-2013-2-पांच (22), दिनांक 27 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 27th September 2013

No. F B-4-14-2013-2-V(22).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) and in supersession in this Department's Notification No. B-4-02-2011-2-V (15), dated 10th May 2011, the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on instrument relating to deposit of title deeds under article 6, and on instrument of simple mortgage under article 38 (b) of Schedule 1-A of the said Act, executed by beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing the repayment of loan or advance upto Rs. 1,00,000/- (One Lac) to be received by him for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojna, subject to the condition that a certificate to the effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty under this order is issued by the Collector of the concerned District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.